24/3/23 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अवकाश के होने के कारण पत्रावली अद्दिना दिनांक 27/3/23 को पेश हो।

27/03/23 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील अनु.। वादी स्वयं अनु.। न्यायालय समय मे वादी वकील एवं वादी को रुक रुक कर तीन बार आवाज लगाई गई न तो वादी उप. हुआ न वादी वकील। अत: पत्रावली अदम पैरवी / अदम हाजरी मे खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो संख्या से कम हो।

(हस्ताक्षर)